

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या-सी0एफ0ओ0/पेट्रोलपम्प/एफएस/2020 -(BP-112)
सेवामें,

दिनांक-दिसम्बर 25, 2020

प्रभारी अधिकारी (आयुध)/
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
बलरामपुर ।

विषय:-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के पत्र दिनांक-24-09-2020 के द्वारा खसरा/गाटा संख्या-224 पर ग्राम, मदरहवा, परगना व तहसील, तुलसीपुर जनपद-बलरामपुर में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपके पत्र संख्या-1652/आयुध लिपिक(अना0प्र0पत्र)/2020 दिनांक-09-10-2020
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक व संदर्भित पत्र के साथ संलग्न पत्र जो कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 गोरखपुर के पत्र दिनांक-24-09-2020 के द्वारा आवेदक के गाटा/खसरा संख्या-224, पर ग्राम, मदरहवा, परगना व तहसील, तुलसीपुर जनपद-बलरामपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है। प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण कराया गया तो निम्न तथ्य पाये गये ।

ढाँचागत संरचना के सम्बन्ध में ।

1-प्रस्तावित स्थल तुलसीपुर से जरवा जाने वाली मुख्य मार्ग पर जनपद-बलरामपुर में स्थित है ।

2-प्रस्तावित रिटेल आउटलेट भूमि के उपर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं गयी है ।

3-कुल भूखण्ड एरिया-900.00 वर्गमीटर है ।

4-प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नहीं है ।

निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थल पर व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व स्थापित कराया जाना व्यवस्थापक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

अग्नि सुरक्षा की वांछनीयता:-

1-एन0बी0सी0 2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में प्राविधानित नियमों के अनुसार निर्माण कराये जायेंगे ।

2-विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप जो स्पार्क प्रूफ हो, से होकर गुजारे जाय, बिजली के उपकरण के साथ ई0एल0सी0वी0 अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की व्यवस्था होनी चाहिए ।

3-पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिंग की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 2002 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।

4-बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड/कन्ज्यूमर यूनिट में एम0सी0बी(मेनिमचर सर्किट ब्रेकर) आई0एस0 8828 के मानको के अनुरूप होनी चाहिए ।

5-प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाओं को कराया जाना आवश्यक होगा ।

(1)ए0बी0सी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 कि0ग्रा0 प्रति डिस्पेंसिंग प्वाइंट हेतु 02 अदद ।

(2)सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 02 अदद ।

(3)ए0एफ0एफ0एफ0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 अदद ।

(4)सैण्ड फायर बकेट राउण्ड बाटम टाइप 08 अदद ।

(5)बालू का ढेर 100 घनफिट ।

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited
15/12/22

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर

(2)

6) वाटर जेल ब्लैकट 01 अदद ।

(7) धूम्रपान निषेध बोर्ड आवश्यकतानुसार ।

(8) आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों की सूची ।

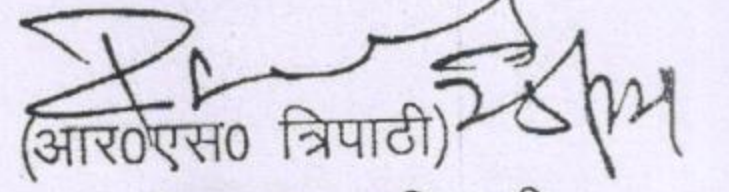
6-पेट्रोलियम पदार्थ के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुरूप होनी चाहिए ।

7-कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रक्रिया जो स्पार्क या आग पैदा करता हो, का भण्डारण स्थल पर-ले जाना सर्वथा वर्जित होगा ।

8-भण्डारण प्रांगण की सफाई/हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होनी चाहिए साथ ही प्रस्तावित स्थल पर अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील वस्तु का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा ।

9-भूमि/भवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

अतः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा गाटा/खसरा संख्या-224 पर ग्राम, मदरहवा, परगना व तहसील, तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति आख्या इस शर्त के साथ प्रेषित की जा रही है कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।


(आर०एस० त्रिपाठी)

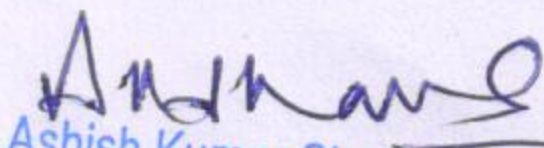
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

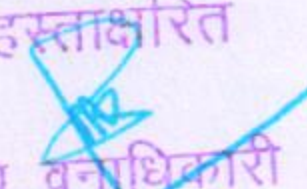
लिंक अधिकारी बलरामपुर
(आर० एस० त्रिपाठी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1-प्रभारी अग्निशमन केन्द्र, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2-स्वामी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रस्तावित स्थल पर अंकित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन कर अधोहस्ताक्षरी को कार्य व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण कराने हेतु ।


Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited
15/2/22

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर